बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9/आ0–09–10/2021 (स्वा0)..... / पटना, दिनांक .....

डॉ० योगेन्द्र प्रसाद सिंह **(कोटि क्र०–9116/2008 सेवानिवृत्ति की तिथि–31.01.2025)**, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नरपतगंज, अररिया के विरूद्ध पल्स पोलियों के मद में कुल 12,87,451/–रु० (बारह लाख सत्तासी हजार चार सौ इक्यावन रुपये) मात्र प्राप्त होने के बाजवूद कुल 18,18,585/–रु० (अठारह लाख अठारह हजार पांच सौ पचासी रुपये) मात्र का चेक से निर्गत करने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन रोगी कल्याण समिति के रोकडबही एवं बैंक विवरणी की राशि में भिन्नता पाये जाने, परिवार नियोजन कार्यक्रम में दो महिला लाभार्थियों को दुबारा पंजी में प्रविष्टि दर्शाकर भुगतान करने एवं अन्य प्रतिवेदित आरोप में विभागीय संकल्प सं०–11(9) दिनांक–06.03.2012 एवं संशोधित संकल्प सं०–361(9) दिनांक–06.03.2012, संकल्प सं०–599(9) दिनांक–06.06.2023 एवं संशोधित संकल्प सं०–1308(9) दिनांक–06.12.2024 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) में आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया है। तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक–656(9) दिनांक–16.06.2025 एवं पत्रांक–490(9) दिनांक–20.05.2026 द्वारा डॉ० सिंह से लिखित अभ्यावेदन की मॉग की गयी, जिसके आलोक में डॉ० सिंह द्वारा प्रत्युत्तर समर्पित किया गया।

2 अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डॉ० सिह के प्रत्युत्तर के समीक्षोपरान्त पाया गया कि डॉ० सिंह के द्वारा स्थापित वित्तीय नियमों के अनुरूप पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। डॉ० सिह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में आरोप के प्रमाणित हुए है। आरोप की प्रकृति एवं गंभीरता के आलोक में डॉ० योगेन्द्र प्रसाद सिंह के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(ख) के अधीन 10% (दस प्रतिशत) पेंशन की राशि 3 (तीन) वर्षो तक कटौती करने का विनिश्चय किया गया।

3. विभागीय पत्रांक–1188(9) दिनाक–07.09.2026 के द्वारा डॉ० सिंह के विरूद्ध अधिरोपित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से सहमति की मॉग की गयी, जिसके आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–2506 दिनांक–16.10.2026 द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

4. अतः डॉ० योगेन्द्र प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नरपतगंज, अररिया के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(ख) के अधीन 10% (दस प्रतिशत) पेशन की राशि 3 (तीन) वर्षो तक कटौती करने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

5. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–09–10/2021(स्वा0) ..... /पटना, दिनांकः–.....

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अवर सचिव।

15

ज्ञापांकः–9/आ0–09–10/2021(स्वा0) 1610(9B)/पटना, दिनांकः– 28.10.26

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवाऐं पूर्णियाँ प्रमंडल पूर्णियाँ/सिविल सर्जन, अररिया/कोषागार पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, के प्रधान आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना/उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/ प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7, 8, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डॉ० योगेन्द्र प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नरपतगंज, अररिया पता–जनकपुरिया, पो०–पनवारी, सहार, भोजपुर–802222 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–Department PMU Lead/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27/10/26

सरकार के अवर सचिव।